

22/8/22 वकील उभयपक्ष उपर। वकील अपीलार्थ  
के धारणा पत्र पेश कर बडस करते  
हुए निवेदन किया कि उक्त अपील  
सदभाविक त्रुटि से न्यायालय हाजा में  
पेश की गई। उक्त अपील सक्षम  
न्यायालय में पेश करने हेतु अधिवक्ता  
अपीलार्थ के लौराई जाना न्यायहित में  
आवश्यक है।

वकील अपीलार्थ की बडस पर  
मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध  
दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन  
से ज्ञात हुआ कि उक्त अपील का  
क्षेत्राधिअर् इत न्यायालय के मंडी है।  
अतः अपील अपीलार्थ विधिनुसार चलने  
योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता  
है। तथा पत्रावली नम्बर से कम की  
भाऊर फैसल शुक्रार दोउर बाद आवश्यक  
कार्यवाही हेतु सम्बिल दफ्तर है।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

रेकॉर्ड चेजा गया

156

10/2/23